

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/440 /

जबलपुर, दिनांक 20/01/2021

II-14-106/2020

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4/31/82/नि-1/4, दिनांक 31.01.1983 में निहित प्रावधान के अनुसार स्वर्गीय श्री अशोक कुमार गौर, जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की मृत्यु दिनांक 21/11/2020 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 214 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त राशि का भुगतान श्रीमती सुनिता गौर पति स्वर्गीय श्री अशोक कुमार गौर, जूडिशियल असिस्टेंट को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/441 /

जबलपुर, दिनांक 20/01/2021


II-14-106/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/1904/लेखा/2020 इन्दौर, दिनांक 14/12/2020 के संदर्भ में श्रीमती सुनिता गौर पति स्वर्गीय श्री अशोक कुमार गौर, जूडिशियल असिस्टेंट खण्डपीठ इंदौर का आवेदन पत्र, अवकाश लेखा मूलतः एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(किशोर पिठवे)

रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.
